प्ररूप 13

{ नियम 34घ (3) और नियम 35 (3) देखिए }

वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता के रूप में / तम्बाकू अथवा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में या तम्बाकू के पेकर अथवा नीलामकर्ता अथवा व्योहारी के रूप में रिजस्ट्रीकरण या रिजस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदक का प्ररूप

- 1 (क) आवेदक का नाम और पता (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, मुख्यालय और शाखाओं के तारघर का पता : और टेलीफोन सं.)
 - (ख) क्या आवेदक व्यष्टि या भागीदारी फर्म अथवा प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी या कोई : सोसाइटी है ? (व्यष्टि/ भागीदारों और निदेशकों/प्रबन्ध निदेशकों का नाम, उनके स्थायी पते सहित दिया जाना चाहिए और व्यष्टि की दशा में उसके पिता या पति का सयनाम भी दिया जाना चाहिए।)
 - (ग) उस सहयुक्त फर्म का नाम जिसके लिए आवेदक कारबार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है
 - (घ) क्या आवेदक फर्म विदेशी बहुसंख्या वाली या हबुराष्ट्रीय समुत्थान है । यदि हो तो अभारतीय : स्वामित्व का विस्तार और स्वामित्व आदि के रूप में संदाय यदि कोई है, को दर्शित करते हुए पूर्ण विशिष्टियां दीजिए

Ī		(ভ.)	आवे	क के बैंकर/बैंकरों का नाम और पता	:
		(च)	आय	pर सत्यापन सं. और तारीख	:
		(छ)	निम्न	लिखित दर्शित करते हुए विशिष्टियां :	:
			i	भारत में कारबार या कारखाने की स्थापना की तारीख, भारत में स्थित कारखाने के ब्यौरे और उनका उत्पादों का वार्षिक उत्पादन	:
			ii	कारबार के प्रारम्भ की तारीख	:
			iii	नियोजित पूंजी	:
			iv	कार्य में लगे हुए श्रामिक	:
	2			(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के आधीन अनुज्ञापित या है, यदि हो तो अनुज्ञापन या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की सं. और तारीख	:
	3	मानक	र संस्थ	न उत्पाद पूर्ति और निपटान महानिदेशालय की चल-संविदा की अनुमोदित दर पर है, भारतीय प्रमाण से चिन्हित है, सरकारी परख गृह हैं या अन्यथा क्वालिटी नियंत्रित हैं (लागू क्वालिटी म को विनिर्दिष्ट दरें)	:

4	क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा राज्य उद्योग निदेशालय के पास सूचीबद्ध है?	:
5	क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास बन्धपत्र निष्पादित किया गया है और यदि हो तो अनुज्ञप्ति सं. और जारी किए जाने की तारीख और प्रतिभूति की रकम ।	:

6 (क) पिछले तीन वर्षों के दौनान पिछले कार्य के ब्यौरे, यदि कोई हों, (वे उत्पाद जिनके लिए : रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है और अन्य उत्पाद जो इस स्कीम के अन्तर्गत नहीं है, पृथक रूम से

उत्पादों के विवरण

दर्शित किये जाने चाहिए)

वर्ष	वर्णन	परिमाण	मूल्य	यूनिट मूल्य	वे बड़े देश जिनको निर्यात किया गया है	कुल उत्पाद शुल्क जो सरकार को भेजा गया है

अगले तीन वर्षों के लिए उत्पादन योजनाएँ और भविष्य में निर्यातों के लिए योजनाएँ

(ख) अगले तीन वर्षों के लिए भविष्य में निर्यात के लिए योजनाएँ

वष निया	त किए जाने वाले/विनिर्मित किए जाने वाले माल का वर्णन	वह देश जिसको नियोत किया गया गया है ।	परिमाण	मूल्य

(ग) उत्पादों के विनिर्माण के लिए प्रयोग की गई तम्बाकू के ब्यौरे

क्रम सं	वर्ष	विनिर्मित उत्पाद	फसल वर्ष में प्रयोग की गई तम्बाकू की किरम और मूल का क्षेत्र (एन.एल.एस, के.एल.एस आदि)	श्रेणी	परिमाण	मूल्य	उपापन का श्रोत

(घ) उस तारीख को (जो विनिर्दिष्ट की जाए) तम्बाकू की तालिका/स्टाक का बौरे

क्रम सं	फसल वर्ष	किस्म		परिमाण	मूल्य
ड.) पिछले तीन हम सं वर्ष		ो गई तम्बाकू के ब्यौरे , यदि कोइ श्रेणी और फसल	हे हो । वर्ष परिमा	ण सी.आई.एफ. मूल्य	वह देश जहां से आयात किया गया
					·
च) तम्बाकू का [ः]	उपाप्त करना (भूत कालिक	5)			

(छ) आगामी वर्ष के लिए उपापन योजना (भविष्य) में

क्रम सं.	किस्म	श्रेणी	नीलाम प्लोर से किया जाने वाला (परिमाण)	व्योहारियों से (परिमाण)
1.	एफ.सी.वी.			
2.	वी.ए.सी.			
3.	बुर्ले			
4.	नाटु			
5.	एच.डी.बी.आर.जी.			
6.	अन्य			

(ञ) केवल सिगरेटों के विनिर्माताओं के लिए

यूनिटों को अवस्थिति, उनकी स्थापित क्षमता, अनुज्ञापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन, उपभोग की गई तम्बाकू का परिमाण दिया जाए ।

(i) वर्जीनियां तम्बाकू के प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए

वर्ष	प्रसंस्करण किया गया परिमाण	व्ययन का तरीका

- 7 यदि इस क्षेत्र में नए हैं तो संचालित विदेश बाजार सर्वेक्षण के या किए गए प्रयासों के ब्यौरे कथित करें । :
- 8 क्या पिछले तीन वर्षों में निर्यात किए गए माल की क्वालिटी या परिदान या विक्रय के पश्चात् सेवा के : संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और वह कैसे निपटाई गई ।
- 9 उन किसानों या व्योहारियों को, जिनसे तम्बाकू का क्रय किया गया है, संदेय शोध्यों के वर्षवार ब्यौरे दें
- 10 क्या फर्म पहले से सही किसी अन्य वस्तु के संबंध में व्योहार कर रही है, यदि हां तो उसका ब्यौरा दें

11	(क)	क्या किसी मान्यता प्राप्त व्यवसाय निकाय के सदस्य हैं, यदि हां तो विशिष्टियां दें ।	:					
	(ख)	क्या फर्म / कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण सं. और तारीख	:					
	(ग)	क्या फर्म चालू वर्ष के लिए कारखाना परिसरों के लिए कोई निगम या नगरपालिका अनुज्ञप्ति धारण करती हैं ।	:					
12	क्या ३	गवेदक के बैंकरों से वित्तीय स्थिति प्रमाणित करते हुए कोई प्रमाणपत्र संलग्न है ।	:					
13	यदि ३	गवेदन रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए है तो नवीकरण के लिए चाहे गए रजिस्ट्रीकरण की सं.	:					
	मैं/हम	सत्य निष्ठा से घोषण करते हैं कि कथित जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान से सही और ठीक है ।						
स्थान: तारीख:								
			(आवेदक के हस्ताक्षर) स्पष्ट अक्षरों में नाम :					
			पदाभिदान :					

निवास का पता :